

**मांग संख्या 08**  
**मुख्य शीर्ष 2029**

**मद क्रमांक 1**

चयनित पटवारियों को एक साल की प्रशिक्षण अवधि में प्रतिमाह ₹ 2000 के मान से शिष्यवृत्ति के भुगतान हेतु राशि ₹ 226.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,26,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 से 3**

कृषि संगणना हेतु राशि ₹ 132.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,32,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

लघु सिंचाई संगणना कार्य हेतु राशि ₹ 25.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 25,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2053**

**मद क्रमांक 5**

राज्य के 431 वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के फलस्वरूप उक्त वनग्रामों के कोटवारों को पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि ₹ 193.95 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,93,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।